राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–113/2016/उदयपुर

श्रीमती बदाम कोठारी,
पत्नी श्री शान्तिलाल जी कोठारी,
निवासी–मकान संख्या 121,
सर्वऋतु विलास, उदयपुर राजस्थान। ...प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये
उप–पंजीयक उदयपुर–प्रथम (राज0)
2. श्री अनिल पुत्र श्री सुमतिप्रसाद जी जैन,
निवासी–मकान संख्या–1–क–10,
माछला मगरा, उदयपुर (राजस्थान) ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :

श्री के. जी. खत्री, वी. सी. सोगानी
अभिभाषक ....प्रार्थी की ओर से
श्री जमील जई
उप–राजकीय अभिभाषक ....अप्रार्थीगण की ओर से

निर्णय दिनांक : 23.05.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थी द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) वृत्त उदयपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 29.04.2013 प्रकरण संख्या 360/2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उप–पंजीयक उदयपुर–प्रथम द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया की मिल्कीयत का एक प्लॉट संख्या–4 शहर उदयपुर बमौहल्ला मेहता जी की बाड़ी, कमलियावाड़ी के सामने, गुलाबबाग रोड, पर स्थित है जिसकी भूतल मंजिल पर एक 'किरायेशुदा दुकान' बनी हुई है जिसका कवर्ड एरिया 380 वर्गफीट है, जिस किरायेशुदा दुकान को प्रार्थीया ने अप्रार्थी संख्या–2 किरायेदार को उसकी आवश्यकता को देखते हुए दिनांक 10.01.2010 को किराये पर देना तय किया व किरायेदार/अप्रार्थी संख्या–2 ने बतौर किरायेदार की

लगातार.................2

हैसियत से प्रार्थीया से इस बाबत एक किराया चिट्ठी/लीज डीड 05 वर्ष के लिए की गई जिस किराया चिट्ठी/लीज डीड को अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा अप्रार्थी संख्या–1 के समक्ष प्रस्तुत होकर बतौर प्रजेन्टर पंजीयन बाबत् प्रस्तुत किया गया व जिसका पंजीयन शुल्क अप्रार्थी संख्या–1 को अदा करते हुए उक्त दस्तावेज को दिनांक 20.04.2010 को अपने नाम पंजीयन करवा लिया गया। लेखा परीक्षा के दौरान यह आक्षेप लिया गया कि इस प्रकरण में 1 वर्ष के औसत किराये पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूला गया है जबकि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33(a)(ii) के अनुसार 20 वर्ष तक की लीज डीड जिसमें केवल किराये का प्रावधान हो, में 2 वर्ष के औसत किराये पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय है तथा इस आधार पर 2 वर्ष के औसत किराये 2,37,600/– रू पर मुद्रांक कर 11,880/– रू व पंजीयन शुल्क 2380/– रू बनता है। अदा किये गये मुद्रांक कर 2380/– रू. व पंजीयन शुल्क 1190/– रू. कम करने पर शेष मुद्रांक कर 9500/– रू व पंजीयन शुल्क 1190/– रू वसूलनीय है। उपपंजीयक प्रथम, उदयपुर द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय दिनांक 29.04.2013 द्वारा रेफरेन्स यथावत स्वीकार करते हुये अप्रार्थीगण से वसूल किये जाने के आदेश दिये है जिसके विरूद्व प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत हुई है।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकार्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। अप्रार्थी सं. 2 अनुपस्थित रहे।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई।

5. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अप्रार्थी संख्या–1 द्वारा दस्तावेज पंजीयन कर व इस सम्बन्ध में बकायदा धारा 54 राज0 स्टाम्प अधिनियम का नोटिस जारी कर दिए जाने के बावजूद भी इसमें ऑडिट आक्षेप लगाते हुए उप–पंजीयक महोदय उदयपुर द्वारा प्रार्थीया को सुनवाई का मौका दिए बिना उक्त आक्षेप प्रार्थीया के विरूद्व बनाते हुए कलक्टर (मुद्रांक) उदयपुर के समक्ष अग्रेषित कर दिया गया। निर्णय पुनरीक्षणाधीन इस बिन्दु भी निरस्त किये जाने योग्य है कि प्रार्थीया विवादित निर्णय दिनांक 29.04.2013 पारित करते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न तो विवादित

लगातार.................3

8. निगरानी में प्रार्थीया द्वारा यह आधार लिया गया है कि उसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया है तथा दस्तावेज के पैरा संख्या 14 एवं 16 तथा दस्तावेज पंजीयन विवरण पृष्ठ संख्या 9 के पुष्ट पर यह साफ तौर पर अंकित है कि दस्तावेज के मुद्रांक कर आदि का व्यय अप्रार्थी संख्या–2 द्वारा ही वहन किये जाने का उल्लेख होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय द्वारा देय मुद्रांक कर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थीगण अर्थात् प्रथम व द्वितीय पक्ष दोनों पक्ष दोनों से वसूल किये जाने के आदेश दिये है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से पता चलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दुकान मालिक प्रार्थीया बदाम कोठारी को नोटिस तो जारी किया है परन्तु उसकी तामील पर " मकान पर ताला नोटिस मकान के अन्दर डाल दिया " की रिपोर्ट है। आदेशिका में विधिवत तामील होने या एकपक्षीय कार्यवाही का कोई उल्लेख नहीं है जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया को विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। दस्तावेज से पैरा सं. 14 व 16 में स्टाम्प शुल्क, रजिस्ट्रेशन शुल्क व अन्य सरकारी देनदारिया अप्रार्थी सं. 2 की निर्धारित की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने देय मुद्रांक कर आदि की वसूली हेतु " अप्रार्थीगण " से वसूलने का आदेश दिया है जो विधिसम्मत नहीं है क्योंकि मुद्रांक कर आदि की देयता का दायित्व किरायेदार अर्थात् अप्रार्थी सं. 1 का है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय इस दृष्टिकोण से विधिसम्मत नहीं है।

9. विचाराधीन प्रकरण में हांलाकि प्रार्थीया ने यह बिन्दु नहीं उठाया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेफरेन्स स्वीकार करने का निर्णय विधिसम्मत है या नहीं, परन्तु न्यायालय यह उचित समझता है कि जब प्रकरण इस न्यायालय के समक्ष विचार हेतु आ गया है तो इस बिन्दु पर भी विचार कर विधिसम्मत निर्णय पारित कर दिया जावे। रेफरेन्स का मुख्य आधार यह था कि इस प्रकरण में 1 वर्ष के औसत किराये पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूला गया है जबकि राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33(a)(ii) के अनुसार 20 वर्ष तक की लीज डीड जिसमें केवल किराये का प्रावधान हो, में 2 वर्ष के औसत किराये पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय है तथा इस आधार पर 2 वर्ष के औसत किराये 2,37,600 / – रू पर मुद्रांक कर 11,880 / – रू व पंजीयन शुल्क 2380 / – रू बनता है। अदा किये गये मुद्रांक

लगातार.................5

कर 2380 / — रू. व पंजीयन शुल्क 1190 / — रू. कम करने पर शेष मुद्रांक कर 9500 / — रू व पंजीयन शुल्क 1190 / — रू वसूलनीय है। उपपंजीयक ने 1 वर्ष के औसत किराये पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 के आधार पर वसूल किया है जिसे अंकेक्षण दल ने इस आधार पर सही नहीं माना है कि अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 के प्रावधान राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 3 की अनुसूची के आर्टिकल 33(a)(ii) के प्रावधानों से अधिनियम की धारा 91(2) के अनुसार असंगत होने के कारण लागू नहीं होती। इस प्रकार प्रकरण में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 नये अधिनियम में लागू होगी या नहीं क्योंकि यदि अधिसूचना लागू नहीं होती है तो राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची के आर्टिकल 33(a)(ii) के अनुसार दो वर्ष के औसत किराये व प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य को प्रतिफल मानते हुए कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय होगा तथा यदि अधिसूचना लागू मानी जाती है तो दो वर्ष के स्थान पर 1 वर्ष के औसत किराये व प्रीमियम आदि को प्रतिफल मानते हुए 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर देय होगा।

10. सर्वप्रथम प्रथम बिन्दु पर विचार किया जाता है कि अधिसूचना दिनांक 05.03. 2003 नये अधिनियम में लागू होगी या नहीं। अधिसूचना दि. 05.03.2003 निम्न प्रकार है :—

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग (कर अनुभाग)

सं.एफ.4(4)एफडी / कर / 2003—223　　**जयपुर, दिनांक 05.03.2003**

(180) अधिसूचना

एस.ओ. 434—राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 (1952 का राजस्थान अधिनियम संख्या 7) द्वारा राजस्थान के लिए यथा अनुकूलित भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 को केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2) की धारा 9 की उप—धारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इसके द्वारा आदेश देती है कि बीस वर्ष से कम की अवधि के पट्टा अथवा उप—पट्टा अथवा किराया अथवा उप किराया का कोई करार, जिसमें सम्पूर्ण पट्टा अवधि अथवा उप—पट्टा अवधि के लिये **किराये की दर निश्चित है और प्रीमियम का संदाय या अदायगी नहीं हुई है,** कि लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क घटाया जायेगा और निम्नानुसार वसूलनीय होगा।

लगातार.................6

(1) आवासीय प्रयोजनों के मामले में – लीज की सम्पूर्ण अवधि के लिए, एक वर्ष के औसत किराये की राशि का एक प्रतिशत।

(2) व्यावसायिक अथवा अन्य मामले में –लीज की सम्पूर्ण अवधि के लिए, एक वर्ष के औसत किराये की राशि का दो प्रतिशत।

यह तुरंत प्रभाव से प्रवृत होगा।

भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अन्तर्गत The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952 की द्वितीय अनुसूची में लीज से संबंधित भाग निम्न प्रकार था :–

The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952

(The second schedule)

Article-35. Lease, including and under lease, or sub-lease and any agreement to let or sub-let— (a) Where by such lease, the rent is fixed and no premium is pid or delivered—	
(i) Where the lease purports to be for a term for less than one year;	The same duty as on a Bond (No. 15) for the whole amount payable or deliverable under such lease.
(ii) Where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than three years;	The same duty as on a Bond (No. 15) for a consideration equal to the amount or value of the rent which would be paid or delivered for a period not exceeding two years.
(iii) Where the lease purports to be for a term in excess of three years;	**The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of the rent which would be paid or delivered for the total period of lease subject to a maximum period of two years.**
(iv) Where the lease does not purports to be for any definite term.	The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of the average annual rent which would be paid or delivered for the first ten years, if the lease continued so long.
(v) Where the lease purports to be in perpetuity.	The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to one fifth of the whole amount of rents which would be paid or delivered in respect of the first fifty years of the lease.
(b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced and where no rent is reserved.	The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease
(c) Where the lease is granted for a fine or permium or for money advanced or development charges advanced in addition to rent reserved.	The same duty as on a conveyance (No.23) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium or advance as setforth in the lease, in addition to the duty which would have been payable on such lease, if no fine or premium or advance had been paid or delivered : Provided that in any case when an agreement to lease, is stamped with the advalorem stamp required for a lease, and a lease in pursuance of such agreement is subsequently executed, the duty on such lease shall not exceed ten rupees.

लगातार.................7

उपरोक्त अनुसूची के आर्टिकल 35(a)(iii) के अनुसार लीज में प्रीमीयम का संदाय नहीं किया गया हो व किराये का प्रावधान हो तथा लीज अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो 2 वर्ष के किराये पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर देय है। उपरोक्त आर्टिकल 35 व अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 से मुद्रांक कर में **दो बिन्दुओं पर छूट दी गई है, प्रथम मुद्रांक कर दो वर्ष या अधिक के किराये पर देय है के स्थान पर 1 वर्ष के किराये पर देय होगा व द्वितीय मुद्रांक पर की दर कन्वेन्स के स्थान पर व्यवसायिक प्रकरणों में 2 प्रतिशत देय होगा।** इस अधिसूचना में अन्य कोई छूट का बिन्दु नहीं है।

11. भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 के अन्तर्गत The Rajasthan Stamp Law (Adaptation) Act, 1952_की द्वितीय अनुसूची में लीज से संबंधित भाग नये अधिनियम राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की अनुसूची में आर्टिकल 33 निम्न प्रकार है :–

33. Lease -- Including an underlease, or sublease and any agreement to let or sublet,--	
(a) where by such lease, the rent is fixed and no premium is paid or delivered,--	
(i) Where the lease purports to be for a term for less than one year,	The same duty as on a Bond (No. 14) for the whole amount payable under such lease.
(ii) Where the lease purports to be for a term of not less than one year but not more than twenty years,	**The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of the average rent of two years**
(iii) Where the lease purports to be for a term in excess of twenty years or in perpetuity or where the term is not mentioned.	The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease.
Explanation: (a) The term of a lease shall include not only the period stated in the document but shall be deemed to be the sum of such stated period along with all previous periods immediately preceeding this without a break for which the lessee and lessor remained the same.	
[(b) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced or security charges advanced and where no rent is reserved.	
(i) Where the lease purports to be for a term of not more than twenty years.	The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of such fine or premium oadvance as set forth in the lease.
(ii) Where the lease purports to be for a term in excess of twenty years or in perpetuity or where the term is not mentioned.	The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease.
(c) Where the lease is granted for a fine or premium or for money advanced or development charges advanced or security charges advanced in addition to rent reserved.—	

(i) Where the lease purports to be for a term of not more than twenty years.	The same duty as on a conveyance (No. 21) for a consideration equal to the amount or value of such fine premium,or advance and amount of average rent of two years as set forth in the lease.
(ii) Where the lease purports to be for a term in excess of twenty years, or in perpetuity or where the term is not mentioned.	The same duty as on a conveyance (No. 21) on the market value of the property which is the subject matter of the lease.]

उपरोक्त विधिक प्रावधान से यह स्पष्ट है कि नये अधिनियम में आर्टिकल 33(a)(ii) के अनुसार पट्टा 20 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए हो तो उस पर मुद्रांक कर नजराने प्रीमियम या अग्रिम धन की रकम या मूल्य के और पट्टे में वर्णित 2 वर्ष के औसत किराये की रकम के बराबर प्रतिफल पर कन्वेन्स की दर से देय है। विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों में किराये की व्यवस्था है तथा लीज अवधि 5 वर्ष की है।

12. उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना वर्तमान अधिनियम के असंगत है या नही तथा इसका लाभ विचाराधीन प्रकरणों के दस्तावेजों पर पर देय है या नही, के संबंध में राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91 (2) का अवलोकन किया जाता है जो निम्न प्रकार है :–

91. Repeal and Savings —

(2) Any appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under the enactment hereby repealed shall be deemed to have been made or issued under the provisions of this Act, in so far as such appointment, notification, notice, order, rule or form is not inconsistent with the provisions of this Act and shall continue in force, unless and until it is superseded by an appointment, notification, notice, order, rule or form made or issued under this Act. इस प्रावधान से यह स्पष्ट है कि पुराने अधिनियम के अन्तर्गत जारी की गई कोई अधिसूचना नये अधिनियम में तब तक लागू होगी जब तक कि यह अधिसूचना अतिष्ठित (Superseded) न कर दी जावें। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 को प्रत्याहारित करने के संबंध में राज्य पक्ष की ओर से कोई परिपत्र या अधिसूचना या विधिक प्रावधान प्रस्तुत नही किया है। राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 (1) निम्न प्रकार है :–

9 - Power to reduce, remit or compound duties

(1) The Government, if satisfied that it is necessary to do so in the public interest, may by rule or order published in Official Gazette, reduce or remit, whether prospectively

२४

लगातार.................9

or retrospectively, in the whole or any part of the territories under its administration, the duties with which any instruments or any particular class of instruments, or any of the instruments belonging to such class, or any instruments when executed by or in favour of any particular class of persons, or by or in favour of any member of such class are chargeable. इस प्रावधान के अन्तर्गत राज्य सरकार को जनहित में शुल्क को कम करने की शक्तियाँ प्रदत्त है। अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत जारी की गई है जिसमें भी राज्य सरकार को शुल्क कम करने की शक्तियाँ थी। इस प्रकार जिन शक्तियों के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 9 के अन्तर्गत शुल्क में रियायत की अधिसूचना दिनांक 09.07.1998 जारी की गई है, वही शक्तियाँ राज्य सरकार को राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 की धारा 9 के अन्तर्गत प्रदत्त है तथा यह अधिसूचना नये अधिनियम के अन्तर्गत असंगत नही मानी जा सकती।

इस संबंध में मुद्रांक विभाग द्वारा ली गई विधिक स्थिति हेतु महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान अजमेर का परिपत्र संख्या 24/2015 क्रमांक : एफ 7(39)जन/मार्गदर्शिका/2015/पार्ट/4671 दिनांक 17.06.2015 अवलोकनीय है जो निम्नुसार है :– राजस्थान स्टाम्प अधिनियम, 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू राजस्थान स्टाम्प विधि (अनुकूलन) अधिनियम, 1952 के अन्तर्गत दी गई मुद्रांक शुल्क की रियायतें वर्तमान में प्रभावी होने के संबंध में :– "राज्य सरकार द्वारा पत्र क्रमांक प.2(50)वित/कर/10 दिनांक 01.12.2010 द्वारा विधि विभाग की राय के आधार पर यह स्पष्ट किया है कि राज. स्टाम्प अधिनियम 1998 की धारा 91(2) के अनुसार राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडपटेशन) एक्ट, 1952 (भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899) के प्रावधानों के अधीन जारी अधिसूचनायें नये अधिनियम में भी जारी की गई समझी जावेगी, जब तक की वे वर्तमान अधिनियम, 1998 के प्रावधानों से असंगत न हों। पूर्व अधिनियम में स्टाम्प शुल्क को कम करने की शक्तियां राज्य सरकार को थी तथा नये अधिनियम की धारा 7 में भी ये शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त है। राज्य सरकार के उपरोक्त मार्गदर्शन से यह स्पष्ट है कि पूर्व अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी प्रभावी हैं।"

विभाग स्वयं द्वारा ली गयी उपरोक्त विधिक धारणा से भी स्पष्ट है कि मुद्रांक शुल्क मे रियायत के संबंध में जारी समस्त अधिसूचनाएँ वर्तमान अधिनियम के अन्तर्गत भी

लगातार.................10

प्रभावी है। राज्य पक्ष की ओर से ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि वित्त विभाग (कर अनुभाग) द्वारा जारी अधिसूचना सं.एफ.4(4)एफडी/कर/2003–223 जयपुर, दिनांक 05.03.2003 प्रत्याहारित या अतिष्ठित कर दी गई है व न ही ऐसा कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत किया है जिससे यह सिद्ध होता हो कि यह अधिसूचना वर्तमान में प्रभावी नहीं है। इस प्रकार इस न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 जो भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि वर्तमान राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 1998 के लागू होने की दिनांक 27.05.2004 से पूर्व लागू था, के अन्तर्गत जारी अधिसूचना का लाभ इन दस्तावेजों पर देय है। उपपंजीयक ने मुद्रांक कर 2 वर्ष के औसत किराये के स्थान पर 1 वर्ष के औसत किराये एवं कन्वेन्स की दर के स्थान पर व्यवसायिक प्रयोजन में अधिसूचना के अनुसार 2 प्रतिशत की दर से वसूल किये जाने के आदेश दिये हैं तथा इस न्यायालय के विनम्र मतानुसार किराये की अवधि 2 वर्ष के स्थान पर एक वर्ष के किराये पर कन्वेन्स के स्थान पर 2 प्रतिशत की दर से मुद्रांक कर वसूल किया जाना विधिसम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निगरानीधीन निर्णय में रेफरेन्स को स्वीकार करते हुए अधिसूचना दिनांक 05.03.2003 लागू न कर मुद्रांक कर 2 वर्ष के औसत किराये पर कन्वेन्स की दर से मुद्रांक कर वसूल किये जाने के आदेश दिये है जो विधिसम्मत नहीं है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर मुद्रांक वृत्त उदयपुर का निगरानीधीन निर्णय दिनांक 29.04.2013 निरस्त किया जाता है।

14. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य